प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक– 04.10.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–:

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **10 वाहनों से कुल रू0 3900/– शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए **290 भादवि में 10 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–16 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

गोण्डा। वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 03.10.2019 को जनपद के थानों से 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 50 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. डब्बू बारी पुत्र सालिक राम, 02.आनन्द सोनकर पुत्र संतराम, 03. भाना देवी पत्नी बब्बन सोनकर, 04. दादू सोनकर पुत्र मिश्री लाल, 05. रामदीन सोनकर पुत्र रामलाल, 06. शारदा सोनकर पत्नी अमेरिका नि0 भालेपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 400 ग्राम नौसादर, 850 ग्राम यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–351/19, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

02. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मन्ना देवी पत्नी बाबादीन नि0 सुत्ती पुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–352/19, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

03. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01.सहाबुद्दीन पुत्र छेदी नि0 नारायनपुर मर्दन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 2 किलो 350 ग्राम यूरिया व 300 ग्राम नौसादर बरामद कर मु0अ0सं0–334/19, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त–सैय्यद अली पुत्र रहमत अली नि0 फैजाबाद रोड निकट कमल पेट्रोलपम्प थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को थाना को0 नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–509/19, धारा 376डी0 भादवि व 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना को0 नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना को0 नगर में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें को0 नगर पुलिस ने आज दिनांक 04.10.2019 को उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर इनकैन चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त सहजराम पुत्र रामदयाल नि0 लक्ष्मणपुर लाल नगर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना इटियाथोक पर पंजीकृत मु0अ0सं0–265/19, धारा 376.452.506 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करते हुए जानमाल की धमकी दी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना इटियाथोक में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस ने आज दिनांक 04.10.2019 को उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।